न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 29 / 2025

राजपाल सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र साल निवासी ढाणी शिशुवाला तन काली पहाडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज.)।

बनाम —अपीलान्ट—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 22.08.2023 न्यायालय तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं प्रकरण संख्या 62 / 2023 उनवानी सरकार बनाम राजपालसिंह पुत्र नत्थूसिंह अ0 धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, एडवोकेट..........................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा एक रिपोर्ट दिनांकित 01.08.2023 ग्राम काली पहाडी स्थित राजकीय भूमि ख.न. 3897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.44 हैक्टर में से रकबा 0.01 हैक्टर पर अपीलाण्ट राजपालसिंह के द्वारा अनाधिकृत रूप से पारा लगाकर अतिक्रमण कर लिया है की गई जिस पर नायब तहसीलदार खेतडी द्वारा प्रार्थी के नाम नोटिस अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 17.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया जिसकी तामील अपीलाण्ट के नागालैण्ड गये हुए होने कारण उस पर असालतन तामील नहीं हुई जिससे अपीलण्ट तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने कारण उसकी तरफ से कोई जबाब व सबूत भी प्रस्तुत नहीं हो सका जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.08.2023 को अपीलाण्ट गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने तथा सरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा 50.00 रूप्ये तावान कायम कर वसूल करने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

आदेश दिया है। आदेश योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी कानून तथ्यों के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलाण्ट ने राजकीय भूमि ख.न. 3897 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है न कर रखा है पटवारी हल्का ने केसर मालिकों से साज कर जानबूझकर गलत व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भूमि ख0न0 3897 ग्राम काली पहाडी को राजकीय भूमि बताकर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसमें ख0न0 3897 का रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता संम्वत 2080 अंकित किया गया है जो गलत अंकित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट को नोटिस गलत दिया गया है। जबकि उक्त ख०न० की भूमि का क्षेत्रफल 0.85 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर बारानी1 व 0.25 बारानी 2 है जिस की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र सावलराम गुर्जर निवासी नयाबासी हिस्सा 1/4 जो राहिन इंडियन ऑवरसीज बैंक शाखा कॉलिहान तथा रामसरण पुत्र सांवलराम गुर्जर निवासी नयाबासी राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पपुरना एवं हरदानसिंह पुत्र सांवलराम गुर्जर तथा हरफूलसिंह पुत्र सांवलराम गुर्जर निवासी नयाबासी के नाम 1/4,1/4 हिस्सा अंकित है। जिस पर उक्त खातेदार काबिज हैं भूमि को काश्त करते है। भूमि ख0न0 3897 राजकीय गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं हैं न उसका रकबा 0.44 हैक्टर है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को गलत रूप से नोटिस जारी कर आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट नागालैण्ड गया हुआ है उसकी असालतन तामील नहीं होने से वह तारीख पेशी को उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का तथा तहसीलदार खेतडी ने दिनाक 23.10.2023 को अपीलाण्ट की कृषि ख0न0 3707 ग्राम काली पहाडी का 1/2 हिस्सा व पत्नि के ख0न0 3724 सम्पूर्ण ग्राम काली पहाडी की खातेदारी की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु लगी पत्थरों की 6–6 फुट उच्ची दीवार को जे सी बी लगाकर तोड दिया जबकि आगे पीछे के अन्य खातेदारों की दीवार को नहीं तोड़ा गया है जिससे अपीलाण्ट की चनों की फसल बर्बाद हो गई तथा वहां रखी कडबी नष्ट हो गई अपीलाण्ट को एक लाख रूपये से अधिक का नुकसान हो गया अपीलाण्ट नागालैण्ड गया हुआ था उसके व पुत्र विजयसिंह ने तहसील में जाकर जानकारी करने पर उक्त आदेश की दिनांक 30.10.2023 को जानकारी होने पर दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.10.2023 को आदेश नकल प्राप्त होने पर अपील अवधि में प्रस्तुत है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 22.08.2023 योग्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार खेतडी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा एक रिपोर्ट दिनांकित 01.08.2023 ग्राम काली पहाडी स्थित राजकीय भूमि ख.न. 3897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.44 हैक्टर में से रकबा 0.01 हैक्टर पर अपीलाण्ट राजपालसिंह के द्वारा अनाधिकृत रूप से पारा लगाकर अतिक्रमण कर लिया है की गई जिस पर नायब तहसीलदार खेतडी द्वारा प्रार्थी के नाम नोटिस अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 17.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया जिसकी तामील अपीलाण्ट के नागालैण्ड गये हुए होने कारण उस पर असालतन तामील नहीं हुई जिससे अपीलण्ट तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने कारण उसकी तरफ से कोई जबाब व सबूत भी प्रस्तुत नहीं हो सका जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.08.2023 को अपीलाण्ट गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने तथा सरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा 50.00 रूप्ये तावान कायम कर वसूल करने का आदेश दिया है। आदेश योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी कानून तथ्यों के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलाण्ट ने राजकीय भूमि ख.न. 3897 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है न कर रखा है पटवारी हल्का ने केसर मालिकों से साज कर जानबूझकर गलत व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भूमि ख0न0 3897 ग्राम काली पहाडी को राजकीय भूमि बताकर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसमें ख0न0 3897 का रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता संम्वत 2080 अंकित किया गया है जो गलत अंकित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट को नोटिस गलत दिया गया है। जबकि उक्त ख०न० की भूमि का क्षेत्रफल 0.85 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर बारानी1 व 0.25 बारानी 2 है जिस की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र सावलराम गुर्जर निवासी नयाबासी हिस्सा 1/4 जो राहिन इंडियन ऑवरसीज बैंक शाखा कॉलिहान तथा रामसरण पुत्र सांवलराम गुर्जर निवासी नयाबासी राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पपुरना एवं हरदानसिंह पुत्र सांवलराम गुर्जर तथा हरफूलसिंह पुत्र सांवलराम गुर्जर निवासी नयाबासी के नाम 1/4,1/4 हिस्सा अकित है। जिस पर उक्त खातेदार काबिज हैं भूमि को काश्त करते है। भूमि ख0न0 3897 राजकीय गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं हैं न उसका रकबा 0.44 हैक्टर है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को गलत रूप से नोटिस जारी कर आदेश पारित किया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075–78 के अनुसार खसरा न 3897 रकबा 0.8500 किस्म बारानी 1 व 2 जगदीश प्रसाद, रामकरण, हरदानसिंह एवं हरफुल सिंह की स्वयं की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिती में निजी खातेदारी की भूमि में भू राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 91 के तहत सम्पादित कार्यवाही को विधीसम्वत नही माना जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2023 मुकदमा संख्या 62/2023 उनवानी सरकार बनाम राजपाल सिंह अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है तहसीलदार खेतडी पुनः फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner